

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016—चैत्र 23, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ 2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी. आई. आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि, 2008 में निम्न संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 (ग) में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

“मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति” से अभिप्रेत है, भारत में घोषित आपातकाल दिनांक 25 जून, 1975 से मार्च, 1977 की कालावधि के दौरान राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डी.आई.आर. के अधीन निरुद्ध किये गये व्यक्ति “लोकतंत्र सैनानी” कहलाएंगे.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पडवार, उपसचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अप्रैल 2016—चैत्र 23, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2016

क्र. एफ 2-1-2008-एक-13.—राज्य सरकार, एतद्वारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि, 2008 में निम्न संशोधन करती है :—

संशोधन

1. उक्त नियमों में, नियम 5(1) प्रावधानित सम्मान निधि की राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए निम्नानुसार नियम 5(1) के स्थान पर निम्न उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“ऐसे व्यक्ति जो मीसा/डी.आई.आर. के अधीन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरुद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) प्रतिमाह की दर से सम्मान निधि की पात्रता होगी.”

2. उक्त “संशोधन” अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. पडवार, उपसचिव.